

रूप-पत्र 40

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 86 का उपनियम (5) देखिये)

प्रमाण-पत्र जारी करने कारजिस्टर।

प्राप्ति		निर्गम					
दिनांक	संगत पत्र की संख्या तथा दिनांक के साथ प्राधिकारी का नाम जिससे प्राप्त हुआ	कुलसंख्या	क्रम संख्या	दिनांक	व्यक्ति का नाम तथा पता जिसे जारी किया गया	भुगतान किया गया शुल्क	
1	2	3	4	5	6	7	8

कोषागार चालान संख्या तथा दिनांक (न्यायालय शुल्क लिखिये, यदि न्यायालय शुल्क स्टाम्प द्वारा भुगतान किया जाए)	दिये गये प्रमाण-पत्रों की संख्या से तक	क्रम संख्या	कुल लागत	शेष, यदि कोई हो	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	
9	10	11	12	13	14	15